संख्या-173/2024/2319/सैंतीस-2-2024-1(14)/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-07 दिसम्बर, 2024

विषयः- **"जनपद स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए तरल नत्रजन की उपलब्धता हेतु क्रायोवैसल का क्रय एवं स्थापना योजना" की गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि उ0प्र0 देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है, परन्तु प्रति पशु उत्पादकता कम है। पशुधन विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त पशु प्रजनन पर आधारित है। कम समय में अनुवांशिक उन्नति के लिए कृत्रिम गर्भाधान एक सरल व सशक्त माध्यम है तथा पशु प्रजनन कार्यक्रम की रीढ़ है। उच्च अनुवांशिक वीर्य के माध्यम से वृहद स्तर पर पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। प्रदेश के गाय एवं भैंसों में वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत वीर्य के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को क्रायोकन्टेनर एवं कृत्रिम गर्भाधान किट उपलब्ध करायी गयी है। उक्त क्रायोकेन में रखे जाने वाले वीर्य स्ट्राज को संरक्षित करने के लिए तरल नत्रजन की अनवरत् एवं निर्बाध रूप से आपूर्ति किये जाने हेतु जनपदों में तहसील/विकास खण्ड स्तर पर 1000 लीटर धारिता के 152 स्टैटिक क्रायोवेसल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्यक विचारोपरान्त "जनपद स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए तरल नत्रजन की उपलब्धता हेतु क्रायोवैसल का क्रय एवं स्थापना योजना" प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैं:-

जनपद स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए तरल नत्रजन की उपलब्धता हेतु क्रायोवैसल का क्रय एवं स्थापना योजना

योजना की पृष्ठभूमिः-

उ0प्र0 में लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं पशुपालन पर आश्रित है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन का क्षेत्र उन क्षेत्रों में शामिल है जिसमें विकास दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। भारत वर्ष में कृषि एवं अन्य सहयोग क्षेत्रों में एक चौथाई से अधिक पशुपालन का योगदान है। पशुपालन द्वारा भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त कृषक व महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। प्रदेश में 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार कुल 190.20 लाख गोवंशीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व 330.17 लाख महिषवंशीय पशु हैं। जिसमें से प्रजनन योग्य 89.36 लाख गोवंशीय व 153.12 लाख महिषवंशीय मादा पशु हैं, जो कुल बोवाइन पशुओं की संख्या के आधे से भी कम हैं। उ0प्र0 देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है, परन्तु प्रति पशु उत्पादकता कम है। पशुधन विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त पशु प्रजनन पर आधारित है। कम समय में अनुवांशिक उन्नति के लिए कृत्रिम गर्भाधान एक सरल व सशक्त माध्यम है तथा पशु प्रजनन कार्यक्रम की रीढ़ है। अतः उच्च अनुवांशिक वीर्य के माध्यम से वृहद स्तर पर पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में यह कार्य उ0प्र0 के 75 जनपदों में स्थित पशुचिकित्सालयों, पशुधन प्रसार अधिकारी केन्द्रों, 'डी' क्लास डिस्पेन्सरी, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकताओं (मैत्री/पशुमित्रों), बायफ केन्द्रों, प्राइवेट कम्पनियों (नमस्ते इन्डिया, ज्ञान डेयरी आदि), मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों (बलिनी, हरित प्रदेश, काशी, सहज आदि) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के गाय एवं भैंसों में वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत वीर्य के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को क्रायो कन्टेनर एवं कृत्रिम गर्भाधान किट परिषद की ओर से उपलब्ध करायी गयी है। उक्त क्रायोकेन में रखे जाने वाले वीर्य स्ट्राज को संरक्षित करने के लिए तरल नत्रजन की अनवरत् एवं निर्बाध रूप से आपूर्ति किये जाने हेतु जनपदों में तहसील/विकास खण्ड स्तर पर 1000 लीटर धारिता के 152 स्टैटिक क्रायोवेसल उपलब्ध कराये जायेंगे।

<u>योजना का स्वरुप</u>:-

योजनान्तर्गत वीर्य स्ट्राज की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु तरल नत्रजन की अनवरत उपलब्धता बनाये रखने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के 822 विकास खण्डों में से चयनित विकास खण्डों में 1000 लीटर धारिता के तरल नत्रजन स्टेटिक क्रायोवेसल स्थापित किये जायेंगे। प्रति 07 विकास खण्डों तक 01 क्रायोवेसल, 14 विकासखण्डों तक 02 क्रायोवेसल एवं उससे अधिक पर 03 क्रायोवेसल स्थापित किये जायेंगे। प्रदेश के कुल 152 विकास खण्डों पर 01-01 स्टैटिक क्रायोवैसल की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी एवं प्रति क्रायोवेसल से 50-60 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को तरल नत्रजन की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रति कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता औसतन 15-20 लीटर तरल नत्रजन प्रतिमाह की आवश्यकता रहती है एवं 01 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के द्वारा औसतन 05 से 15 ग्रामों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है, इस आधार पर 50-60 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को 750-950 लीटर तरल नत्रजन की प्रतिमाह आवश्यकता रहती है, जिसकी पूर्ति क्रायोवेसल से अनवरत् की जा सकेगी।

प्रदेश के कुल चयनित 152 विकास खण्डों में 01-01 क्रायोवेसल की स्थापना हेतु चयनित पशुचिकित्सालय परिसर में 12 X 16 वर्ग फिट का एक फाउन्डेशन बनाकर क्रायोवेसल की स्थापना की जायेगी तथा क्रायोवेसल के चारों तरफ वायरफेसिंग भी की जायेगी। क्रायोवेसल टैलीमैट्री (लेटेस्ट टेक्नोलॉजी) पर आधारित होगा, जिससे तरल नत्रजन के वितरण एवं वाष्पीकरण की सेन्ट्रल मानिटरिंग कर उसे नियंत्रित किया जा सकेगा।

<u>उद्देश्य</u>:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- प्रदेश के जनपदों में स्थापित 4383 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में कार्यरत 8828 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को अनवरत् रूप से ससमय तरल नत्रजन उपलब्ध कराना।
- तरल नत्रजन ससमय उपलब्ध होने से कोल्ड चेन के द्वारा वीर्य स्ट्राज की गुणवता बनाये रखना।
- पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना तथा गैर विभागीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को विभागीय योजनाओं के कार्यों में सम्मिलित करना।
- गैर विभागीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के सम्मिलित हो जाने से विभागीय वीर्य स्ट्राज का उठान बढ़ाना एवं वीर्य स्ट्राज के उपयोग पर प्रभावी अनुश्रवण एवं नियंत्रण कर डिजिटल प्रगति में बढ़ोत्तरी करना।
- कृत्रिम गर्भाधान की गुणवत्ता को बढ़ाकर गर्भधारिता दर के साथ ही पशुपालकों की आय बढ़ाना।

<u>योजना के संचालन से लाभः</u>-

- 75 प्रतिशत गैर विभागीय कृत्रिम गर्भाधान को सुनियोजित कृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत लाया जा सकेगा एवं जर्म प्लाज्म/वीर्य स्ट्राज की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- वीर्य स्ट्राज की गुणवत्ता को बनाये रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की दक्षता का आंकलन किया जा सकेगा।
- तरल नत्रजन की अनवरत् उपलब्धता सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त कृत्रिम गर्भाधान को पशुपालकों के द्वार तक ससमय पहुंचाने में सहायक होगी।
- तरल नत्रजन परिवहन के समय एवं जनपदों में वितरण के मध्य होने वाले वाष्पीकरण में सार्थक कमी आयेगी।
- तरल नत्रजन की ससमय उपलब्धता होने से कोल्ड चेन बनाये रखते हुए वीर्य स्ट्राज की गुणवत्ता बनायी जा सकेगी।
- भविष्य में उच्च गुणवत्ता/अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली संततियों को चिन्हित करते हुए उन पशुओं को अधिक बाजार मूल्य में विक्रय कर पशुपालक की आय में गुणात्मक वृद्धि की जा सकेगी।

<u>योजना का औचित्यः</u>-

तरल नत्रजन की उपयोगिता मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त पशु प्रजनन के लिए आवश्यक है। कम समय में अनुवांशिक उन्नति के लिए कृत्रिम गर्भाधान एक सरल व सशक्त माध्यम है तथा पशु प्रजनन कार्यक्रम की रीढ़ है। अतः उच्च अनुवांशिक वीर्य के माध्यम से वृहद स्तर पर पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में यह कार्य उ०प्र० के 75 जनपदों में स्थित पशुचिकित्सालयों, पशुधन प्रसार अधिकारी केन्द्रों, डी क्लास डिस्पेन्सरी, प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (मैत्री/पशुमित्री), बायफ केन्द्रों, प्राइवेट कम्पनियों (नमस्ते इण्डिया, ज्ञान डेयरी आदि) मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनियों (वलिनी, हरित प्रदेश काशी, सहज आदि) के लगभग 10 हजार से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसमें से लगभग 3000 सरकारी, 6000 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (मैत्री/पशुमित्रों) एवं 1000 अन्य संस्थाओं द्वारा कृत्रिम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गर्भाधान कार्य किया जा रहा है तथा 520 एम०वी०यू० के माध्यम से भी कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में परिषद द्वारा समस्त जनपदों को माह में 02-03 बार तरल मत्रजन की आपूर्ति की जा रही है। उक्त योजना के माध्यम से जनपद में प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को पृथक से तरल नत्रजन की व्यवस्था हो जाने से पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों पर माह में 01 बार ही तरल नत्रजन की आपूर्ति की आवश्यकता रहेगी जिससे तरल नत्रजन वितरण पर व्यय होने वाली धनराशि में सार्थक कमी आयेगी एवं ससमय तरल नत्रजन की उपलब्धता होने से आपूर्ति में प्रभावी सुधार होगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-173/2024/2319(1)/सैंतीस-2-2024-1(14)/2023, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।